बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

निविदा सूचना

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के नियंत्रणाधीन बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार एवं मोतिहारी के लिए भाड़े के वाहन की आवश्यकता है। अतः इस हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/आपूर्तिकर्त्ताओं से मोहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1. वाहन का मासिक किराया सभी प्रकार के कर इत्यादि सहित अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी कर या शुल्क अलग से नही दिया जायेगा।

2. वाहन स्कॉर्पियो/टाटा सूमो/बोलेरो/सफारी में से कोई होना चाहिए। जो डीजल चालित हो। साथ ही वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए।

3. इस वाहन की मरम्मति एवं दैनिक रख–रखाव पर होने वाले तेल एवं चालक पर व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किया जाएगा। अधिकतम 60 किलोमीटर प्रतिदिन के परिचालन के लिए कोई भी राशि वाहन मालिक को देय नही होगी। 60 किलोमीटर से अधिक वाहन परिचालन होने की स्थिति में **निर्धारित दर पर अलग से भुगतान किया जाएगा।**

4. वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटा बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त के समक्ष उपलब्ध रहना होगा। सेवा संतोषजनक नही होने पर एकरारनामा समाप्त कर दिया जाएगा एवं पैनल में उपलब्ध वाहन मालिकों से वाहन लिया जाएगा।

5. निविदा के साथ 10000/= (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही रोड टैक्स का अद्यतन भुगतान आवश्यक है।

6. निविदा में वाहन का निबंधन संख्या, रोड टैक्स एवं क्रय के वर्ष का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा। साथ ही वाणिज्यक निबंधन अनिवार्य है। यदि वाणिज्यिक निबंधन नही है तो एक माह के भीतर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

7. निविदा पर गाड़ी लेने से पूर्व गाड़ी के फिटनेस संबंधी जाँच जिला प्रशासन के स्तर पर गठित समिति द्वारा कि जाएगी। जिसमें एम०भी०आई० के सदस्य भी रहेगे।

8. आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति किये गये वाहन में खराबी होने पर तुरत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। वे ऐसा नही करते है तो जितने दिन वाहन की खराबी अथवा चालक की अनुपस्थिति के कारण उपयोग में नही लाया जा सकेगा। उतने दिनों के लिए अनुपातिक भाड़े का भुगतान नही किया जाएगा।

9. निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर पर यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की जाएगी तब वैसी परिस्थिति में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को प्राथमिकता दी जाएगी।

10. प्राप्त निविदा का मूल्यांकन निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

11. निविदा भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना - 800015 के कार्यालय में दिनांक 17.12.2012 के अपराह्न 5:00 बजे तक जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

12. निविदा को बिना कारण बताये किसी समय अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा।

13. इस संबंध में पूर्व में दिनांक 02.09.2012 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण आदि तथा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित निविदा रद्द की जाती है।

14. विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट www.lrc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(कल्पना कुमारी)
सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
मुख्य सचिवालय, पटना - 800015
दूरभाष संख्या - 0612-2217108
फैक्स संख्या - 0612-2217107